केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क- bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :49 अंक 92 शनिवार 24 अक्टूबर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । विजयादशमी उत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बस्ती की ओर से आयोजित पथ संचलन एवं एकत्रीकरण कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। शाम 5 बजे सरस्वती विद्या मंदिर, रामबाग से पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों का पथ संचलन हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन और पुष्पार्चन से हुआ। अध्यक्षता बंजरिया फार्म के पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. एसएन सिंह ने की। मुख्य वक्ता गोरक्ष प्रांत के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख डॉ. अरविंद सिंह रहे। इस दौरान जिला संघचालक पवन तुलस्यान और नगर संघचालक सुनील मिश्रा की उपस्थिति रही।

डॉ. अरविंद सिंह ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने में देश के महापुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंद्रगुप्त, सम्राट विक्रमादित्य और सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन और वर्ष 1911 में विभाजन रद्द होने का उल्लेख किया। जलियांवाला बाग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए सजग रहे। उन्होंने विजयादशमी पर संघ की स्थापना और भारतीय संस्कृति के चार आश्रमों की परंपरा का भी उल्लेख किया।

मुख्य शिक्षक शिवेंद्र रहे और एकल गीत श्वेतांशु ने प्रस्तुत किया। बौद्धिक कार्यक्रम के बाद पथ संचलन जनता होटल, पक्के बाजार, रोडवेज चौराहा और अस्पताल चौराहा होते हुए शिव कॉलोनी स्थित विद्यालय पहुंचा, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर सुभाष, आशीष, भवानी, वीरेंद्र, श्रीराम, राजेश, गोविंद, रंजीत, वायुनंदन, मधुरेश, नीरज, बृजेश मुन्ना और आशुतोष सहित संघ के अनेक कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

नहीं हटा आंधी में गिरा पेड़

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। हर्रैया तहसील परिसर के मुख्य गेट के पास आंधी में गिरा पेड़ 15 दिन बाद भी नहीं हटाया जा सका है। तहसील की बाउंड्रीवाल के बगल में लटका पेड़ कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसके नीचे अधिवक्ताओं के बैठने के कारण खतरा और बढ़ गया है। पूर्व बार अध्यक्ष उमाकांत तिवारी का आरोप है कि पेड़ से उत्पन्न खतरे के बारे में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील गेट के पास पेड़ का लटका रहना अधिवक्ताओं, फरियादियों और अन्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

लोगों को आशंका है कि तेज हवा चलने या पेड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं, तहसील गेट के पास गंदगी का अंबार लगा होने से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दुर्गंध के बीच लोगों को वहां से गुजरना पड़ता है। तहसील जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पेड़ नहीं हटाए जाने और सफाई व्यवस्था की अनदेखी को लेकर लोग नाराज हैं।

पटाखा बनाते समय विस्फोट से 7 की मौत : घर का एक हिस्सा ध्वस्त

सीवान (आभा)। बिहार राज्य के सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में शुक्रवार शाम पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में करीब 7 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, मृतकों में एक ही परिवार के पांच लोग शामिल हैं। पटाखा कारोबारी अमीरुद्दीन, इनकी तीन पोतियां, एक पोता के अलावा दो मजदूरों की बात सामने आई है। हालांकि सीवान के डीएम विजय प्रकाश मीणा ने कहा कि अभी तक दो–तीन लोगों के ही शव बरामद किए जा सके हैं। अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव दल के छानबीन के बाद ही सही संख्या का पता चल पाएगा। धमाका शाम करीब साढ़े 5 बजे हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा–तफरी मच गई। तेज धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर–उधर भागने लगे। किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि विस्फोट किधर हुआ है। बाद में लोगों को पता चला कि पटाखा कारोबारी अमीरूद्दीन के घर में ही विस्फोट हुआ है।

बताया गया है कि शुक्रवार को रोजाना की तरह घर के भीतर पटाखे बनाए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पटाखों में विस्फोट होने लगे। लगातार हो रहे धमाकों से मकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। विस्फोट इतना भयावह था कि तीन लोगों के शव बुरी तरह क्षत–विक्षत होकर घर के बाहर जा गिरे।

दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रहे यात्रियों से भरा ऑटो पलटने से आठ घायल

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। दुर्गा पूजा का मेला देखकर घर लौट रहे यात्रियों से भरा ऑटो शुक्रवार की भोर करीब 3रू08 बजे कप्तानगंज–पंडूलघाट मार्ग पर राखिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में दो महिलाओं समेत आठ यात्री घायल हो गए। इनमें तीन यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जबकि अन्य को मामूली चोटें लगीं। घायल रवि कुमार ने बताया कि सभी लोग बस्ती में दुर्गा पूजा का मेला देखकर ऑटो से घर लौट रहे थे। राखिया के पास अचानक ऑटो के सामने कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ऑटो पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे ऑटो सड़क पर पलट गया।

हादसे में पूजा पत्नी रवि कुमार, नित्या (18) पुत्री सुशील कुमार और संगीता (35) पत्नी सुशील कुमार को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। सभी घायल दुबौलिया थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

नगर पालिका ने 2120 भवन स्वामियों को जारी किया नोटिस

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। नगर पालिका के बकायेदार भवन स्वामी ब्याज माफी के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि योजना शुरू होने के दो महीने बाद भी अपेक्षाकृत कम आवेदन आए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका प्रशासन ने 2120 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब महज 25 दिन शेष हैं। ऐसे में समय रहते आवेदन नहीं करने पर काफी संख्या में बकायेदार ब्याज माफी के लाभ से वंचित रह सकते हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) अंगद गुप्ता ने बताया कि ओटीएस योजना के प्रति बकायेदारों की बेरुखी को देखते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। 25 हजार रुपये के 1307

बकायेदारों और 50 हजार रुपये के 813 बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहरवासियों की सुविधा के लिए वार्डवार कैंप भी लगाए जा रहे हैं, ताकि बकायेदार आसानी से आवेदन कर सकें। ईओ के अनुसार, अब तक ओटीएस के तहत 70 लाख रुपये की डिमांड बन चुकी है, जबकि 35 लाख रुपये से अधिक की राशि नगर पालिका के कोष में जमा हो चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को 14 नवंबर तक ओटीएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद नगर पालिका की ओर से 15 दिसंबर तक आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।

टेण्डर के फेर में उलझा जर्जर सड़क का निर्माण

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर की जर्जर सड़क का निर्माण टेंडर के फेर में तीन महीने से उलझा हुआ है। शासन ने परिसर की सड़क, इंटरलॉकिंग मार्ग और जल निकासी के लिए नालियों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी कार्यदायी संस्था टेंडर प्रक्रिया लंबित होने का हवाला देकर निर्माण शुरू नहीं करा पा रही है। विभागीय चिकित्सकों का कहना है कि लंबे समय बाद परिसर में सड़क और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए बजट जारी हुआ है, लेकिन इसके बाद भी दुश्वारियां बनी हुई हैं।

आरोप है कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। परिसर की मुख्य सड़क लंबे समय से जर्जर है, जिससे चिकित्सकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को रोजाना आवागमन में परेशानी होती है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की बारिश में भी परिसर में जलभराव हो जाता है। चिकित्सकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। घरों के सामने गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैलती है और संक्रमण का खतरा बना रहता है। परिसर में करीब 200 परिवार रहते हैं। इनमें अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और कार्यालय कर्मचारी शामिल हैं। रात में इमरजेंसी के दौरान जर्जर रास्ते से आवागमन जोखिम भरा हो जाता है। बरसात में जलभराव की समस्या और गंभीर हो जाती है। ऐसे में चिकित्सकों और कर्मचारियों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कार्यदायी संस्था के जेई पन्नेलाल ने बताया कि आवासीय परिसर में सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने को लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉ. अनिल यादव ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से लगातार जानकारी ली जा रही है, ताकि जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके।

खाद की दूकानों पर छापा: तीन दुकानों का लाइसेंस निलंबित

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। प्रशासन व कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में खाद की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान संदिग्ध 11 खादों का नमूना लिया गया। नौ दुकानदारों को अनियमितता के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तीन दुकानों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। छापेमारी में कृषि विभाग के चार जिलास्तरीय अधिकारी व चारो तहसीलों के तहसीलदार शामिल रहे। शासन के निर्देश पर डीएम ने चारो तहसीलों के लिए छापेमार दल का गठन किया। सदर तहसील में उप निदेशक कृषि अशोक कुमार व सदर तहसीलदार, हर्रैया में जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य व तहसीलदार हर्रैया, भानपुर में जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतनशंकर ओझा व तहसीलदार भानपुर तथा रुधौली में अपर जिला कृषि अधिकारी अंबिकेश प्रताप सिंह व तहसीलदार रुधौली के लिए टीम में बनाया।

जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने बताया कि चारो संयुक्त टीमों ने अपने तहसील क्षेत्र में खाद ठेकेदार का निरीक्षण कर संदिग्ध खादों के गुणवत्ता परीक्षण किया। 11 संदिग्ध खाद का नमूना लेते हुए जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। टीम ने यह भी जांच किया कि खाद विक्रेता के अवैध भंडारण, कालाबाजारी व अधिक मूल्य लेने की भी तहकीकात की। जांच के दौरान नौ दुकानों पर अभिलेख, स्टाक रजिस्टर, विक्रेता का विवरण, ईपास के मिलान में गड़बड़ी मिलने पर नौ दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा गंभीर अनियमितता के आरोप में सिंह खाद भंडार अगौना, गोपाल ट्रेडर्स रुधौली और गुप्ता उर्वरक केंद्र सुरवार कला रुधौली का खाद लाइसेंस निलंबित करते हुए जांच बैठा दिया गया है। इसकी सूचना डीएम, संयुक्त निदेशक कृषि व सीडीओ को दी गई है।

बस्ती में अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित करने की पहल: गनेशपुर में भूमि चयन प्रक्रिया शुरू

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बस्ती में अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। बस्ती विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित इस परियोजना के लिए गणेशपुर में भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

शुक्रवार को जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जमीन की स्थिति और टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिति, संपर्क मार्गों और भू–उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने भूमि की उपयुक्तता

का आकलन करते हुए संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारी ली। साथ ही भूमि चयन से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।

प्रस्तावित टाउनशिप में लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत चौड़ी सड़कें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, सुचारू जलापूर्ति और उन्नत विद्युत व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे लोगों को सुनियोजित आवासीय क्षेत्र में रहने का अवसर मिल सकेगा।

परियोजना का उद्देश्य बस्ती में व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा देना और अनियोजित कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगाने में मदद करना है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउनशिप विकसित होने से शहर के विस्तार को बेहतर दिशा मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही परियोजना से स्थानीय स्तर पर व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इससे जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। फिलहाल भूमि चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने जरूरी कार्यवाही जल्द पूरी करने पर जोर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी की अफसरों को नसीहत ऑफिस, ऑफिस न भटके आम आदमी

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहा कि आज भी किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए बार–बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सामान्य नागरिक की छोटी–छोटी समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता। योगी ने अफसरों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 'ऑफिस–ऑफिस' धारावाहिक की तरह आम आदमी न भटके। एक नागरिक का सामान्य से काम के लिए विभिन्न कार्यालयों में भटकना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। समस्याओं को जानबूझकर लटकाना या जानकारी के अभाव में समाधान न कर पाना, दोनों स्थितियां प्रशासन के लिए गंभीर हैं। नागरिक संतुष्टि ही किसी भी लोकसेवक का रिपोर्ट कार्ड है।

एक अयोग्य व्यक्ति का जिम्मेदार पद पर बैठना भी खतरनाक है और एक लापरवाह व्यक्ति का वहां बने रहना भी। कई बार कर्मचारी अपने अधिकारों और पदोन्नति को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन अपने दायित्वों के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाते। इसलिए कार्मिकों की क्षमता का निरंतर विकास होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए और उनके कार्य का मूल्यांकन भी होना चाहिए। बार–बार शिकायत के आदी व्यक्ति से अलग, एक सामान्य नागरिक की वास्तविक समस्या का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान या जरूरतमंद को निराश लौटना पड़े और उसे समयबद्ध समाधान न मिले, तो लोक सेवा का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोकभवन में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 'साधना श्रृंखला' की उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने क्षमता विकास आयोग से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश में क्षमता विकास के लिए उपाम को एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल तकनीक शासन का स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। लोक सेवकों को इन बदलावों के अनुरूप सक्षम बनाना आवश्यक है। तकनीक शासन को गति दे सकती है, प्रक्रियाएं सरल कर सकती है और निर्णयों को बेहतर बना सकती है, लेकिन प्रशासन को संवेदनशील उसका सेवा भाव ही बनाएगा।

सीएम ने कहा कि इसके साथ ही ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों के कार्मिकों की क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। विकसित भारत और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाना होगा। पंचायतें और नगर निकाय शासन की बुनियादी इकाइयां हैं।

शिक्षक एमएलसी चुनाव में बस्ती जिले में 86.4 प्रतिशत मतदान

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती। शिक्षक एमएलसी चुनाव में बस्ती जिले में 86.4 प्रतिशत मतदान हुआ। जिले में कुल 2,045 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 1,768 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 277 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला।

मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी निर्धारित मतदेय स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की थीं। मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।

जिले में रामनगर, रुधौली, सल्टौआ गोपालपुर, साऊंघाट, गौर, परसरामपुर, विक्रमजोत, हर्रैया, बस्ती, नगर पालिका परिषद बस्ती, कप्तानगंज, बहादुरपुर, बनकटी और कुदरहा में मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवनों में मतदेय स्थल निर्धारित किए गए थे। भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी और सपा के डॉ. संजय त्रिपाठी समेत 17 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी और सपा के डॉ. संजय त्रिपाठी समेत कुल 17 प्रत्याशी मैदान में थे। अन्य प्रत्याशियों में अजय सिंह, डॉ. राकेश सिंह, राजीव यादव, सत्यपाल सिंह, डॉ. शरदेंदु कुमार त्रिपाठी, निरंकार राम त्रिपाठी, अजीत कुमार सिंह, देव भास्कर तिवारी, राजेश पांडेय, शिव श्याम यादव, दिनेश कुमार मिश्र, पंकज कुमार, राकेश कुमार तिवारी और रामप्रताप राम शामिल हैं।

मनीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग, कांग्रेसियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

बस्ती । कांग्रेस नेता महादेवा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी बृजेश कुमार आर्य के नेतृत्व में शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां महादेवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी एवं कांग्रेस नेता बृजेश कुमार आर्य के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में भाजपा नेता मनीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी और बृजेश कुमार आर्य ने आरोप लगाया कि मनीष कुमार मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से बृजेश कुमार आर्य के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट और टिप्पणियों के जरिए उन्हें अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी दलित समाज के प्रति विरोधी मानसिकता को दर्शाती है।

बृजेश कुमार आर्य ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 22 अक्टूबर 2026 को शाम करीब छह बजे मनीष मिश्रा ने उनके खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए धमकी दी। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी–एसटी) अधिनियम सहित अन्य लागू गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस दौरान गिरजेश पाल, ज्ञानेंद्र पांडेय, डॉ. आलोक रंजन वर्मा, मनीष दुबे, बाबूराम सिंह, चंद्रशेखर वर्मा, वाहिद सिद्दीकी, अलिफ अख्तर, पंकज राव, महेश कुमार, शोभित चौधरी, दुर्गेश चौधरी, मोहम्मद रफी, रामप्रीत, फजल आजम, शौकत अली नन्नू, मुकेश कुमार, शुभम कुमार, वकील विक्रम गौतम, धर्मेंद्र कनौजिया, आशुतोष पांडेय, आदित्य त्रिपाठी, कन्हैया यादव, राकेश मणि त्रिपाठी, अमित सिंह, संदीप श्रीवास्तव, संजय चौधरी, सुधीर यादव, प्रशांत पाठक, दूधनाथ पटेल, रामबहादुर सिंह, शौकत अली, दीपेंद्र सिंह और आनंद निषाद सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 24 अक्टूबर 2026 शनिवार

सम्पादकीय

शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल

देश का भविष्य बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है, जब उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए केवल बड़े–बड़े दावे करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल तैयार करना भी उतना ही जरूरी है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल शिक्षा, नई तकनीक और आधुनिक पाठ्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन प्रयासों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब गांवों और छोटे शहरों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक भी बेहतर सुविधाएं पहुंचेंगी। कई स्थानों पर शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की समस्या शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह चुनौती और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। ऐसे में इन स्कूलों की जिम्मेदारी केवल बच्चों को अगली कक्षा में पहुंचाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को विषयों की सही समझ, भाषा पर पकड़, गणित का ज्ञान और व्यावहारिक शिक्षा देना भी आवश्यक है।

सरकारें विद्यालयों में भवन, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और डिजिटल सुविधाओं पर खर्च करती हैं। इन सुविधाओं का लाभ तभी सार्थक होगा, जब उनका नियमित उपयोग हो। स्कूलों की निगरानी केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि बच्चों को वास्तव में कितना सीखने का अवसर मिल रहा है।

इसमें शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षकों से गैर–शैक्षणिक कार्यों का बोझ कम करना, समय पर संसाधन उपलब्ध कराना और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करना जरूरी है। साथ ही, पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा।

अभिभावकों को भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। नियमित उपस्थिति, घर पर पढ़ने की आदत और शिक्षकों के साथ संवाद से बच्चों की प्रगति में सुधार हो सकता है। गांवों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है, जितना स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाना।

सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना केवल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है। यदि गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो उनके सामने रोजगार, आत्मनिर्भरता और आगे बढ़ने के अधिक अवसर होंगे।

अब जरूरत इस बात की है कि शिक्षा की सफलता का आकलन केवल भवनों, नामांकन और योजनाओं की संख्या से न किया जाए। असली सफलता तब होगी, जब स्कूल से निकलने वाला बच्चा आत्मविश्वास के साथ पढ़ सके, समझ सके और अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता हासिल कर सके।

रोजगार और विकास के दावे

देश की प्रगति का आकलन केवल सड़कों, पुलों, एक्सप्रेसवे, बड़े भवनों और औद्योगिक परियोजनाओं से नहीं किया जा सकता। विकास की असली तस्वीर तब सामने आती है, जब आम आदमी के जीवन में सुधार हो, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बने और युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर मिलें। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी होती है, लेकिन यह ताकत तभी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकती है, जब युवाओं को शिक्षा के साथ काम करने का अवसर भी मिले। यदि पढ़े–लिखे युवाओं की बड़ी संख्या रोजगार की तलाश में भटकती रहे, तो विकास की उपलब्धियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य अधूरा रह जाता है।

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां युवाओं की आबादी बड़ी है। यह स्थिति देश के लिए एक बड़ा अवसर भी है और महत्वपूर्ण चुनौती भी। युवाओं के पास ऊर्जा है, नई तकनीक सीखने की क्षमता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है। जरूरत इस बात की है कि उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल हो। इसके लिए ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें खेती, उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र और नई तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार पैदा हों। केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में पदों की संख्या बढ़ाने से रोजगार की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता।

देश के छोटे शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं। सुबह से देर रात तक पढ़ाई, कोचिंग की फीस, किताबों का खर्च और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने की परेशानी उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। परिवार भी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार बच्चों की तैयारी पर पैसा खर्च करता है। किसी किसान का बेटा हो या सामान्य आय वाले परिवार का युवा, सरकारी नौकरी को सुरक्षित भविष्य का एक बड़ा रास्ता माना जाता है।

सरकारी सेवा में निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता जैसे कारणों से युवाओं का इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। समस्या तब पैदा होती है, जब नौकरी की सीमित संभावनाओं के बीच लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक एक ही दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। कई युवाओं की उम्र निकल जाती है, परिवार की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ता है और बार–बार असफल होने से उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है।

यह स्थिति किसी एक व्यक्ति की मेहनत या क्षमता की कमी का प्रमाण नहीं है। इसके पीछे रोजगार के सीमित विकल्प, प्रतियोगिता का बढ़ता दबाव और निजी क्षेत्र में स्थायी तथा सम्मानजनक काम की तलाश जैसी अनेक वजहें हैं। इसलिए युवाओं को केवल यह सलाह देना पर्याप्त नहीं कि वे मेहनत करें या अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। यह भी जरूरी है कि उनके लिए रोजगार के अलग–अलग रास्ते उपलब्ध हों और उन्हें उन रास्तों तक पहुंचने की सही जानकारी मिले।

सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, समयबद्ध परीक्षा प्रक्रिया और निर्धारित समय में नियुक्ति महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी भर्ती की प्रक्रिया लंबी खिंचती है, परीक्षा बार–बार स्थगित होती है या परिणाम को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, तो अभ्यर्थियों का समय और संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं। भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट समयसीमा और नियमित जानकारी उपलब्ध कराने से युवाओं का भरोसा मजबूत किया जा सकता है।

रोजगार के मुद्दे पर अक्सर रिक्त पदों, नई भर्तियों और नियुक्तियों की घोषणाएं चर्चा में रहती हैं। इन घोषणाओं का महत्व है, लेकिन इनके साथ पूरी प्रक्रिया की स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। कितने पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, कितने पदों का विज्ञापन जारी हुआ, कितने अभ्यर्थियों ने रोजगार की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब नौकरी देने वाले संस्थानों और काम तलाश रहे युवाओं के बीच बेहतर तालमेल बने।

महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे की विरासत पर उद्धव और शिंदे के बीच आर-पार की जंग

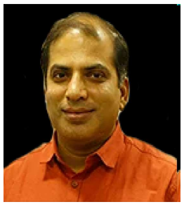

—नीरज कुमार दुबे—

महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा पर्व सियासी शक्ति प्रदर्शन और एक–दूसरे पर हमले का बड़ा मौका भी है। मुंबई में इस बार भी यही नजारा दिखा। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की हुंकार थी, तो गोरेगांव के नेस्को सेंटर में एकनाथ शिंदे का पलटवार था। दोनों नेता एक–दूसरे पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी असली नजर महाराष्ट्र की जनता पर थी, जिसे तय करना है कि बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का असली वारिस कौन है। इस बार दोनों रैलियों में 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन का मुद्दा भी खास रहा। उद्धव ठाकरे ने केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने और सत्ता बदलने की खुली हुंकार भरी। उन्होंने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो वे सत्ता परिवर्तन की मांग क्यों न करें? जवाब में एकनाथ शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में कौन रहेगा, इसका फैसला जनता करती है। उन्होंने उद्धव को याद दिलाया कि उनकी अपनी पार्टी में भी सत्ता और नेतृत्व का बदलाव हो चुका है। दोनों के इन बयानों का सियासी मतलब यह है कि जहां उद्धव महाराष्ट्र की लड़ाई को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ व्यापक विपक्षी अभियान से जोड़ना चाहते हैं, वहीं शिंदे सत्ता परिवर्तन की मांग को जनता के फैसले के खिलाफ विपक्ष की बेचौनी बताकर खारिज करना चाहते हैं। साथ ही उद्धव और शिंदे की दशहरा रैली से जो तस्वीर उभरती है वह साफ बताती है कि यह मुकाबला अब महज दो नेताओं की निजी अदावत नहीं रह गया है। इसके केंद्र में हिंदुत्व की परिभाषा, मराठी अस्मिता, किसानों की बदहाली, चुनावी जनादेश और सत्ता की वैधता जैसे सवाल हैं। दोनों खेमे अपनी–अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा जनता की अदालत में होनी है। देखा जाये तो शिवाजी पार्क उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ रैली का मैदान नहीं, राजनीतिक विरासत का प्रतीक है। यही वह जमीन है, जहां बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना की आक्रामक राजनीति को आवाज दी थी। उद्धव इसी विरासत के सहारे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका संदेश था कि शिवसेना की पहचान किसी चुनाव आयोग के फैसले, किसी सरकारी मुहर या सत्ता के गणित से तय नहीं होगी। उद्धव ने भाजपा के साथ अपने पुराने गठबंधन को बड़ी राजनीतिक भूल बताते

हुए कहा कि उसके साथ 25 साल गंवा दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बालासाहेब के हिंदुत्व का इस्तेमाल किया और बाद में शिवसेना को ही किनारे कर दिया। यह हमला केवल भाजपा पर नहीं थाय इसके जरिए उद्धव ने शिंदे खेमे पर भी सवाल उठाया कि सत्ता की मलाई के लिए शिवसेना की मूल राजनीतिक पहचान से समझौता किसने किया।

उद्धव ने मतदाता सूची से कथित रूप से नाम हटाए जाने, संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए। युवा प्रदर्शनकारियों को उन्होंने अराजक तत्व नहीं, बल्कि बदलाव की मांग करने वाले क्रांतिकारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने सत्ता परिवर्तन की जरूरत का संदेश दिया। यानी उद्धव की रणनीति साफ है। शिंदे के पास सरकार हो सकती है, पार्टी का आधिकारिक नाम हो सकता है, विधानसभा में ज्यादा विधायक हो सकते हैंय लेकिन ठाकरे खेमे के पास वह राजनीतिक भावनात्मक पूंजी है, जिसे वह बालासाहेब की विरासत और मराठी अस्मिता के नाम पर भुनाना चाहता है। उधर नेस्को सेंटर में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को उनके ही पुराने फैसलों के कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उनका तर्क था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ चुनाव लड़कर बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाना मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात था। शिंदे ने इसे ही सबसे बड़ी 'वोट चोरी' करार दिया। देखा जाये तो यह एकनाथ शिंदे की सियासत का केंद्रीय तर्क है। वह उद्धव को याद दिलाना चाहते हैं कि सत्ता की राजनीति में नैतिकता का सवाल उठाने से पहले अपने पुराने फैसलों का हिसाब भी देना पड़ता है। उनके लिए 2022 में शिवसेना से बगावत करना पार्टी को बचाने की लड़ाई है, जबकि उद्धव के लिए वही घटना पार्टी तोड़ने और जनादेश की अवमानना का उदाहरण है। यानि एक ही घटना, परन्तु दो बिल्कुल उलटी व्याख्याएं! उद्धव कहते हैं कि शिवसेना को तोड़ा गया, शिंदे कहते हैं कि उन्होंने शिवसेना को उसकी मूल विचारधारा की ओर लौटाया। उद्धव के लिए शिंदे सत्ता के सहारे विरासत हथियाने वाले नेता हैं, तो शिंदे के लिए उद्धव कांग्रेस के साथ जाकर बालासाहेब की राजनीति से दूर चले गए नेता हैं। देखा जाये तो यही महाराष्ट्र की इस लड़ाई का सबसे दिलचस्प पहलू है। दोनों बालासाहेब का नाम लेते हैं, दोनों भगवे पर अपना दावा जताते हैं और दोनों अपने प्रतिद्वंद्वी को शिवसेना की मूल आत्मा से भटका हुआ बताते हैं। सवाल यह है कि बालासाहेब की विरासत का फैसला नारों से होगा, संगठन से, चुनावी नतीजों से या जनता के वोटों से?

आपको यह भी बता दें कि इस बार की दशहरा रैलियों में किसानों का मुद्दा भी खूब उछला। महाराष्ट्र के सूखे और संकटग्रस्त किसानों की दुर्दशा ने दोनों नेताओं को एक–दूसरे पर हमला करने का मौका दिया। शिंदे ने किसानों के बीच जाकर मदद पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्त आरोप–प्रत्यारोप का नहीं, संकट में फंसे किसानों के साथ खड़े होने का है। उनकी ओर से किसानों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने की बात भी सामने रखी गयी। उन्होंने उद्धव पर सवाल उठाया कि जब किसान परेशान हैं, तब केवल राजनीतिक प्रदर्शन करने से क्या हासिल होगा?

वहीं उद्धव ने सरकार की राहत राशि और किसानों की वास्तविक जरूरतों को लेकर सवाल उठाए। उनके हमले का आशय यह था कि सरकार की घोषणाओं और किसानों के हाथ में पहुंचने वाली मदद के बीच बड़ा अंतर है। उन्होंने शिंदे खेमे पर भी निशाना साधा और राजनीतिक बगावत के लिए कथित तौर पर दिए गए पैसों की तुलना किसानों को मिलने वाली छोटी राहत से की।

देशभक्ति के नाम पर कारोबार कितना सही?

—नीरज कुमार दुबे—

एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में वेटर ने पूछा, ''सर, क्या आप अपनी कॉफी के साथ कुछ और लेना चाहेंगे?'' मैंने कहा, ''हां, एक छोटा–सा लोन दे दीजिए।'' वह मुस्कुरा दिया।मैंने समझाया, ''मैंने पार्किंग के पैसे तो पहले ही भर दिए हैं। अगर मैं आपका सैंडविच भी खरीद लूं, तो शायद मेरे बच्चों की पढ़ाई ही छूट जाएगी।'' एक समय था जब हम एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों को उड़ान भरते देखने जाते थे। आजकल, हम अपनी बचत को भी उसी तरह 'उड़ते' हुए देखते हैं। और नहीं, जब मैं 'मोनोपोली' (एकाधिकार) की बात कर रहा हूं, तो मेरा मतलब बोर्ड गेम से नहीं है। कम से कम उस गेम में तो हर कोई कुछ पैसों के साथ शुरुआत करता है। जरा उन सुविधाओं पर नजर डालिए जो कभी सरकार चलाती थी और अब निजी हाथों में हैं। हमसे 'दक्षता' का वादा किया गया था। बहुत बढिया! लेकिन क्या कोई समझा सकता है कि इस 'दक्षता' का मतलब मेरी जेब को पूरी तरह खाली कर देना क्यों है? ''सर, ये प्रीमियम सुविधाएं हैं।'' ''मैंने तो बस अपनी कार पार्क की थी। क्या आपने उसे कोई मसाज दी है?''

निजी कंपनियां बेशक सेवाओं में सुधार कर सकती हैं लेकिन किसी सार्वजनिक सुविधा को निजी हाथों में सौंप देने से अपने आप प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं हो जाती। नीलामी के समय तो कई बोली लगाने वालों के पास विकल्प हो सकते हैं लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाने के बाद, ग्राहक के पास क्या विकल्प बचता है? इसी बात से मुझे स्टारङ्क्षलक को लेकर हो रहे देशभक्तिपूर्ण विरोध की याद आती है। कुछ लोग इसे बाहर रखने की बात कर रहे हैं, उनका तर्क है कि कोई विदेशी कंपनी हमारे 'घर' (बाजार) में घुस रही है। सरकार का कहना है कि तीनों लाइसैंस प्राप्त सैटेलाइट ऑप्रेटरों का सुरक्षा मूल्यांकन किया जाएगा। यह ठीक है, नियमों को सख्ती से और सबके लिए समान रूप से लागू करें लेकिन देशभक्ति को किसी के बिजनैस साम्राज्य के बाहर तैनात 'सिक्योरिटी गार्ड' नहीं बन जाना चाहिए। ''कौन आ रहा है?'' ''एक प्रतियोगी।'' ''देश के लिए खतरा!'' ''और ग्राहक का क्या?'' ''उसे तो बस गर्व महसूस करने का निर्देश दिया गया है।'' मुझे कहीं ज्यादा गर्व होता अगर मेरा इंटरनैट तब भी काम करता, जब पूरा परिवार मेरे वाई–फाई से जुड़ जाता!

याद है, जब सड़कों पर एंबैसेडर और फिएट कारों का बोलबाला हुआ करता था? कार खरीदने के लिए पैसे और धैर्य के साथ–साथ, एक ऐसे मैकेनिक से अच्छे रिश्ते की भी जरूरत होती थी, जो कभी–कभी आपकी शादी से भी ज्यादा लंबे समय तक आपका साथ निभाता था! गाड़ी खडखड़ाती थी। दरवाजे खुलते समय आवाज करते थे। इंजन स्टार्ट होने से पहले मानो आपस में कोई मीटिंग करता था कि आज चालू होना है या नहीं। हम इसे ही देशभक्ति कहते थे, जबकि वह कार किसी रोडरोलर की तरह रेंगती हुई आगे बढ़ती थी। फिर और निर्माता आए तथा अचानक ग्राहकों को एक हैरान करने वाली बात पता चली। उनके पास चुनने का विकल्प था। निर्माताओं को बेहतर काम करना पड़ा, क्योंकि ग्राहक किसी दूसरे शोरूम में जा सकते थे। प्रतिस्पर्धा की यही खूबी है। यह कारोबारियों को यह याद रखने के लिए प्रेरित करती है कि ग्राहकों के पास चलने–फिरने के लिए पैर हैं।

अब, स्टारलिंक कोई ऐसी खैरात नहीं है जो आसमान से मुफ्त इंटरनैट लेकर उतरी हो। इसकी कीमतें भी ऐसी होनी चाहिएं, जिन्हें हम स्वीकार कर सकें। न तो कोई भारतीय अरबपति और न ही कोई अमरीकी अरबपति ऐसा है, जिसके प्रति हमें बिना सोचे–समझे समघ्पत हो जाना चाहिए। उन्हें हमारे ग्राहकों के लिए आपस में मुकाबला करने दें। भारतीय कंपनियों को भारतीयों की बेहतर सेवा करके और मजबूत होने दें। और कृपया नागरिकों से यह कहना बंद करें कि वे राष्ट्रीय ध्वज लहराकर किसी कंपनी की बैलेंस शीट बचाएं। देशभक्ति का मतलब यह होना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं–सही कीमतें, भरोसेमंद सेवाएं और चुनने के लिए असली विकल्प।

किसी देश की महानता इस बात से नहीं मापी जा सकती कि कुछ भारतीय कारोबारी कितनी चौन की नींद सोते हैं, जबकि लाखों लोग अपने बिलों की चिंता में डूबे रहते हैं। और कंपनियों को आने दें। प्रतिस्पर्धा होने दें। और जब कोई चिल्लाकर कहे, ''इसे देश के लिए खरीदो!'' तो विनम्रता से पूछें, ''क्या इसका मुनाफा देश को मिलेगा, या सिर्फ किसी भारतीय अरबपति को?''–दूर की कौड़ीराबर्ट क्लीमैंट्स इस बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि निजी कंपनियों को केवल उनके भारतीय होने के आधार पर बेहतर मान लेना उतना ही गलत है, जितना किसी विदेशी कंपनी को सिर्फ उसके विदेशी होने के कारण संदेह की नजर से देखना। किसी भी कंपनी का मूल्यांकन उसकी सेवा, कीमत, जवाबदेही और ग्राहकों के प्रति उसके व्यवहार से होना चाहिए। अगर कोई भारतीय कंपनी कम कीमत पर बेहतर सेवा देती है, तो ग्राहक स्वाभाविक रूप से उसे प्राथमिकता देंगे। लेकिन यदि वही कंपनी एक बार बाजार पर अपना दबदबा बना लेने के बाद मनमाने दाम वसूलने लगे, शिकायतों को अनसुना करे और ग्राहकों के पास कोई दूसरा रास्ता न छोड़े, तो केवल उसके भारतीय होने से उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सरकार की भूमिका भी इसी बिंदु पर महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका काम केवल कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बाजार में किसी एक कंपनी की ताकत आम नागरिकों के हितों पर भारी न पड़े। इसके लिए पारदर्शी नियम, प्रभावी शिकायत निवारण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा जरूरी हैं। नियम ऐसे होने चाहिए जो सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू हों। किसी कंपनी को केवल उसके नाम, राष्ट्रीयता या राजनीतिक समर्थन के आधार पर विशेष छूट मिलना स्वस्थ बाजार व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

डिजिटल सेवाओं के मामले में यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आज इंटरनेट केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है। पढ़ाई, रोजगार, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और कारोबार तक पहुंच के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और कानून–व्यवस्था

—पूनम आई.कौशिर्श—

'रिंग –अ–रिंग–ओ–रोजेज, पॉकेट फुल ऑफ पोजेज', बच्चों की इस तुकबंदी को याद कीजिए। लेकिन यह महज बालगीत नहीं रह गया है। हमारे 'विकसित भारत' में विरोध–प्रदर्शन का नया तौर–तरीका कुछ ऐसा बन गया है, प्रदर्शन करो, हिरासत में लिए जाओ, रिहा होओ और फिर प्रदर्शन करो। पिछले पखवाड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और अब 'सत्ता परिवर्तन' की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और उसके सहयोगियों तथा माकपा के छात्र संगठन ए.आई.एस.ए. की दिल्ली पुलिस के साथ लगातार झड़पों ने इस आवाजाही के चक्र को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की स्थिति से जुड़े एक बड़े सवाल में बदल दिया है।

असली सवाल यह है कि विरोध करने के अधिकार को संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में संरक्षण मिल रहा है या उसे तेजी से कानून–व्यवस्था की समस्या मान लिया गया है? यदि नागरिकों को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, तो उसके इस्तेमाल पर राज्य की कठोर कार्रवाई क्यों होती है? ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य क्या है, ङ्क्षहसा रोकना या विरोध को लोगों की नजरों से ओझल करना? यदि सरकार आश्वस्त है, तो अपनी आलोचना में उठती आवाजों से उसे बेचौनी क्यों होनी चाहिए? असहमति अपराध नहीं, मतभेद देशद्रोह नहीं और प्रदर्शनकारी अपने–आप सरकार के शत्रु नहीं हो जाते। यह सही है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार देता है। लेकिन ये स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं हैं। संविधान लोक–व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता सहित निर्धारित आधारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

सरकार का वैध दायित्व है कि वह शांतिपूर्ण असहमति के लिए जगह बनाए, कानून–व्यवस्था कायम रखे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, ङ्क्षहसा रोके और जन–सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली आवश्यक सेवाओं में बाधा न आने दे। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एक नागरिक की स्वतंत्रता दूसरे नागरिक के लिए दुरूस्वप्न न बन जाए। लेकिन केवल असुविधा, आलोचना या सरकार की किरकिरी को असहमति दबाने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। जहां हिरासत में लेने के वैधानिक आधार हों, वहां ऐसी कार्रवाई उचित हो सकती है लेकिन जब बार–बार टकराव हो और कोई सार्थक समाधान न निकले, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हिरासत संवाद का विकल्प नहीं है। इसी तरह, किसी को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर देना इस बात का प्रमाण नहीं कि सरकार ने स्थिति को समझदारी से संभाला। यदि प्रदर्शनकारी इसलिए लौट आते हैं क्योंकि उनकी चिंताओं का जवाब नहीं मिला, तो यह चक्र चलता रहेगा।

दरअसल, जरूरत से ज्यादा कठोर कार्रवाई का उलटा असर भी हो सकता है। कोई स्थानीय प्रदर्शन नागरिक स्वतंत्रताओं, पुलिस के आचरण और सरकार की सुनने की इच्छा पर व्यापक बहस का रूप ले सकता है। ऐसे में मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि अधिकारियों ने प्रदर्शन से कैसे निपटा। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों को भी समझना चाहिए कि प्रदर्शन का अधिकार कानून तोडने, दूसरों को धमकाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या पूरे शहर को बंधक बनाने का लाइसैंस नहीं है। संवैधानिक स्वतंत्रताओं के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। सड़क जाम होने से एंबुलैंस अस्पताल नहीं पहुंच पाती। लंबे समय तक किसी स्थान पर कब्जा रहने से लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, काम पर जाने वालों को परेशानी होती है और दुकानदारों का कारोबार घटता है। ङ्क्षहसा और धमकी से आम नागरिक भयभीत हो सकते हैं। ये वास्तविक चिंताएं हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारी महज बहाना कहकर खारिज नहीं कर सकते। लेकिन यही तर्क दूसरी दिशा में भी लागू होता है। यदि नागरिकों को दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, तो सरकार को भी उनकी संवैधानिक स्वतंत्रताओं का आदर करना होगा।

निरूसंदेह, जब प्रदर्शन लोक–व्यवस्था के लिए खतरा बनें, आवश्यक सेवाएं बाधित करें या रोजमर्रा के काम में लगे लाखों नागरिकों को परेशानी पहुंचाएं, तो सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। इसके अलावा, कभी–कभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में असामाजिक तत्व, उपद्रवी और अपराधी भी घुस आते हैं। वे अपने हिसाब चुकाने, ङ्क्षहसा भड़काने या अव्यवस्था फैलाने के लिए भीड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून तोडने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक रास्ता यह है कि प्रशासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल, बातचीत से तय किए गए मार्ग, जरूरत पडने पर उचित समय–सीमा और स्पष्ट शर्तों की व्यवस्था करे। प्रतिबंध वास्तविक और विशिष्ट जोखिमों पर आधारित होने चाहिएं, अस्पष्ट आशंकाओं पर नहीं। जहां किसी सभा से वास्तविक खतरा पैदा हो, वहां हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। उद्देश्य परस्पर प्रतिस्पर्धी अधिकारों में संतुलन बनाना होना चाहिए, किसी एक अधिकार को मिटा देना नहीं।

इसलिए चुनौती विरोध के अधिकार और कानून–व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व, दोनों के बीच न्यायसंगत संतुलन बनाने की है। प्रशासन को शांतिपूर्ण असहमति जताने वालों और उपद्रवियों, वास्तविक शिकायतों और सुनियोजित उकसावे तथा वैध सभा और जानबूझकर की गई अराजकता के बीच अंतर करना होगा। प्रदर्शनकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने आंदोलन को उन तत्वों के हाथों में न जाने दें, जो उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। लोकतंत्र शासन करने वालों से संयम और विरोध करने वालों से जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय नहीं होती कि देश में कितने प्रदर्शन होते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि व्यवस्था उन प्रदर्शनों और उनमें उठने वाली आवाजों के प्रति कैसा रवैया अपनाती है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में असहमति को जगह देना जरूरी है, क्योंकि हर नागरिक सरकार की नीतियों से सहमत हो, यह संभव नहीं है।

महराजगंज में 81.33 फीसदी पड़े वोट

संवाददाता–महराजगंज। गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में जिले के 11 मतदान केंद्रों पर शाम चार बजे तक कुल 81.33 फीसदी शिक्षकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान बूथों पर दिनभर गहमागहमी बनी रही। शिक्षकों ने बढ़–चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी की। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 3572 पंजीकृत मतदाताओं में 2734 पुरुष व 838 महिला मतदाता शामिल हैं। शाम चार बजे तक 81.33 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 2318 पुरुष मतदाता व व 587 महिला मतदाता शामिल हैं। पुरुष मतदाताओं का कुल मतदान प्रतिशत 84.78 फीसदी महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 70.04 फीसदी दर्ज हुआ। जिले के 11 मतदान केंद्रों में क्षेत्र पंचायत कार्यालय लक्ष्मीपुर 88.65 फीसदी मतदान हुआ। शाम चार बजे तक 164 वोट पड़े थे। मतदान के मामले में लक्ष्मीपुर केन्द्र जिले में शीर्ष पर रहा। इसके बाद परतावल 85.26 फीसदी वोट पड़ा। यहां 266 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पनियरा 82.46 फीसदी मतदान हुआ। सबसे कम मतदान सदर में देखने को मिला। यहां 76.92 फीसदी यानी 300 वोटरों ने मतदान किया। नौतनवां रतनपुर ब्लाक में 80.54 फीसदी, निचलौल में 81.70 फीसदी, मिठौरा में 81.77 फीसदी, बृजमनगंज में 80.79 फीसदी, सिसवां में 80.80 फीसदी, फरेंदा में 81.50 फीसदी व घुघली में 78.59 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सभी बूथों पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे।

मोबाइल पर कमेंटबाजी को लेकर खूनी संघर्ष, तीन पर जानलेवा हमला

संवाददाता–बलरामपुर। कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पचौठे (शेखापुर) में मोबाइल पर कमेंटबाजी को लेकर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। मंदिर के पास कहासुनी के बाद आरोपियों ने एक युवक और उसके परिजनों पर लाठी–डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियार से भी वार किया गया। घटना में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित अमित कुमार पुत्र स्व. लालबाबू निवासी पचौठे के अनुसार 19 अक्टूबर रात करीब साढ़े आठ बजे गांव के मंदिर के पास मोबाइल पर कमेंटबाजी को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान सरदार अली पुत्र शौकत अली, अरमान अली, रौनक अली व सलमान पुत्रगण सरदार अली मौके पर पहुंचे और गाली–गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी–डंडों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान अमित कुमार के भाई अजीत कुमार और चचेरे भाई तमिल कुमार बीच–बचाव करने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। इसी बीच अरमान अली ने धारदार हथियार से तमिल कुमार पर हमला कर दिया। घटना में अमित कुमार व उनके भाई के सिर में चोटें आईं, जबकि तमिल कुमार के सिर और बाएं हाथ में चोट लगी। चोट लगने से अमित कुमार बेहोश हो गए। इसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के मुताबिक शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे और फर्जी पट्टे का आरोप, दूसरे दिन भी अनशन जारी

संवाददाता–कुशीनगर। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लोहअरपट्टी के टोला चिरकुटहां में सार्वजनिक भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जे और फर्जी तरीके से कृषि पट्टा कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव के लोग अनशन पर बैठ गए हैं। गुरुवार की रात नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे समझाने की कोशिश की लेकिन अनशनकारी नहीं माने। शुक्रवार को भी ग्रामीणों का अनशन जारी है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में नवीन परती भूमि पर लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य सामुदायिक कार्य होते आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2009 में उक्त भूमि पर चबूतरा बनाकर दो कमरों के लिए पांच फीट की दीवार भी खड़ी की गई थी। इस भूमि पर पांच पेड़ कटहल और एक पेड़ महुआ का भी है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि गांव के ही व्यक्ति ने उक्त भूमि का कृषि पट्टा करा लिया। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित व्यक्ति के पास पर्याप्त खेत और दो मंजिला मकान है तथा उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है।वहीं, मुसहर समुदाय के ग्रामीणों ने स्वयं को गरीब और भूमिहीन बताते हुए सार्वजनिक भूमि पर पट्टा किए जाने की बात कही है।

विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाददाता–महराजगंज। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। मृतका के पिता ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय मरियम के रूप में हुई है। उसकी शादी वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत बुद्धिरामपुर निवासी शमशेर अली से हुई थी। शमशेर पानी बेचने का काम करता है। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा हसनैन 5 वर्ष और छोटा बेटा अब्दुल रहमान 3 वर्ष का है। मृतका के पिता आलमगीर, निवासी ग्राम सियरही भार ने बताया कि 2019 में शमशेर उनकी बेटी को भगा ले गया था और प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों साथ रह रहे थे। पिता को घटना की सूचना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे मिली। जब वह बेटी के घर पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। आनन–फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पिता ने पति के चाचा पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष श्यामदेउरवा महेन्द्र मिश्र ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

रूपईडीहा में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा, मकान मालिक समेत 11 गिरफ्तार

संवाददाता–बहराइच। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रूपईडीहा पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर मकान मालिक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से जुए के फड़ पर रखे 61,320 रुपये नकद, गिरफ्तार आरोपियों की जामा तलाशी में 13,680 रुपये तथा 52 ताश के पत्ते और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कुल बरामद नकदी 75,000 रुपये है। पुलिस के अनुसार, 23 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि जमोग बाजार में राजेश पुत्र स्वामी दयाल के मकान के अंदर कुछ लोग ताश के पत्तों से हार–जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर क्षेत्राधिकारी नानपारा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। मकान के निचले तल पर बने हॉल में घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शान्तनू, शाबिर, सुल्तान, अरसद उर्फ सलमान, मुकेश, राजेश, सोनू, अनिश, नियाज अहमद, राम किशन और राजन शामिल हैं। सभी जमोग थाना रूपईडीहा क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर थाना रूपईडीहा में मुकदमा अपराध संख्या 290ध2026 के तहत जुआ अधिनियम की धारा 3ध4 में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी नानपारा चित्रांशु गौतम के पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र सहित थाने के अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा: 6 गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर तस्वीरें भेजकर तय होता था सौदा

संवाददाता–देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले में गुरुवार को पुलिस ने ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा किया। तहसीलदार अलका सिंह की मौजूदगी में किराये के मकान पर छापेमारी कर तीन महिलाओं और तीन युवकों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के सिकड़िया पखनपुरा गांव की रहने वाली नीतू यादव पर तीन साल से कथित सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। वह देवरिया शहर के न्यू कॉलोनी मोहल्ले में परिवार के साथ किराये पर रहती थी। उसने इंदिरा नगर में रवि मिश्रा के मकान का पहला तल छह हजार रुपये प्रतिमाह पर किराये पर लिया था। मकान मालिक के असम में रहने की बात सामने आई है।

पुलिस को मकान में संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद गुरुवार को पुलिस टीम ने तहसीलदार अलका सिंह की मौजूदगी में छापेमारी की। मौके से विवेक कुशवाहा पुत्र अवधेश कुशवाहा, रोशन कुमार द्विवेदी पुत्र शंभूनाथ द्विवेदी और करुणाकर तिवारी पुत्र ब्रह्माजी तिवारी, निवासी घाटी, थाना भटनी को भी पकड़ा गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी छह लोगों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि व्हाट्सएप के जरिए महिलाओं की तस्वीरें ग्राहकों को भेजी जाती थीं। इसके बाद बातचीत के माध्यम से पैसों का सौदा तय किया जाता था। सौदा तय होने पर ग्राहकों को इंदिरा नगर स्थित किराये के मकान पर बुलाया जाता था। पुलिस के मुताबिक, फोन के जरिए ग्राहकों को बुलाने और ऑनलाइन भुगतान लेने की बात भी सामने आई है। पुलिस इस कथित गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

कोतवाली प्रभारी शशिभूषण राय की शिकायत पर नीतू यादव, नीलम प्रजापति, सुनीता मल्लाह, विवेक कुशवाहा, रोशन कुमार द्विवेदी और करुणाकर तिवारी के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि भुजौली कॉलोनी के इंदिरा नगर मोहल्ले में मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान किराये के मकान से तीन महिलाओं और तीन पुरुषों को पकड़ा गया। मौके से मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री, शराब और एक बाइक बरामद हुई है। सभी छह आरोपियों के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।

जॉइंट मजिस्ट्रेट की कार्यशैली के विरोध में उतरे अधिवक्ता, स्थानांतरण की मांग को लेकर प्रदर्शन

संवाददाता–देवरिया। तहसील बार एसोसिएशन देवरिया के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को सदर तहसील के जॉइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा की कार्यशैली के विरोध में तहसील बार भवन में बैठक की। इसके बाद अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौडिल्य को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने जॉइंट मजिस्ट्रेट का सदर तहसील से स्थानांतरण करने की मांग की।

बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि जॉइंट मजिस्ट्रेट के सदर तहसील में तैनाती के बाद से विभिन्न राजस्व मामलों के निस्तारण में अनावश्यक बाधाएं आ रही हैं। असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने, धारा 80, धारा 31ध32, धारा 24 और धारा 116 से संबंधित मामलों के साथ खतौनी में नाम की त्रुटियों और अंश निर्धारण से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कंप्यूटरीकृत खतौनी में हुई गलतियों के सुधार के लिए रजिस्टर कानूनगो की रिपोर्ट और तहसीलदार सदर की स्वीकृति के बाद पत्रावली जॉइंट मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है लेकिन वहां से पत्रावलियां वापस कर दी जाती हैं। इससे संबंधित मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है और वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर जॉइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा का स्थानांतरण सदर तहसील से अन्यत्र करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना, 30 तक घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार की जानकारी

संवाददाता–देवरिया। जिले में जनगणना का पहला चरण 16 नवंबर से शुरू होगा। इसके तहत 30 नवंबर 2026 तक लोग घर बैठे आधिकारिक पोर्टल पर अपने परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपदवासियों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। डीएम ने बताया कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में 16 से 30 नवंबर तक नागरिक स्वयं जनगणना के तहत आधिकारिक पोर्टल सेल्फ एन्यूमरेशन डॉट सीईडॉटसेंसस डॉट जीओवी डॉट इन पर 40 बिंदुओं पर परिवार से संबंधित विवरण दर्ज कर सकेंगे। जानकारी जमा करने के बाद सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (एसई आईडी) जनरेट होगी। इसे सुरक्षित रखना जरूरी होगा, क्योंकि प्रगणक के घर पहुंचने पर यह आईडी उपलब्ध करानी होगी। जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाएंगे, वे निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से अपना विवरण दे सकेंगे। जनगणना का दूसरा चरण एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर–घर जाकर परिवारों से जानकारी एकत्र करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। ऑनलाइन विवरण दर्ज कराने वाले परिवारों की जानकारी एसई आईडी के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। इसके बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक तीसरे चरण में दर्ज किए गए विवरणों का पुनरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित संदर्भ तिथि के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जन्म, मृत्यु या अन्य विवरणों में बदलाव होने पर संबंधित जानकारी को अद्यतन किया जाएगा। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को जनगणना के नाम पर किसी के साथ ओटीपी, दस्तावेजों की छायाप्रति या फोटो साझा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी नहीं देने की अपील की। डीएम ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आंकड़े जिले, गांव और क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आंकड़ों से जनसंख्या की स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं का आकलन करने में मदद मिलती है। उन्होंने जनपदवासियों से निर्धारित समयावधि में सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा जनगणना प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।

अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी, जाम किया हाईवे, डीएम ने नहीं लिया ज्ञापन

संवाददाता–बलरामपुर। ऑनलाइन दाखिल–खारिज की व्यवस्था के विरोध और डीएम द्वारा ज्ञापन न लिए जाने से नाराज अधिवक्ताओं का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। आक्रोशित वकीलों ने दोपहर करीब 12:30 बजे तहसील परिसर से निकलकर राष्ट्रीय राजमार्ग–730 (बौद्ध परिपथ) पर बैठकर स

अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारी वकीलों ने ऑनलाइन दाखिल–खारिज की व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जताई और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वहीं, जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन न लिए जाने से वकीलों में आक्रोश और बढ़ गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को भी जिले की तीनों तहसीलों और दीवानी न्यायालय के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। इस दौरान वकीलों ने डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया था। लगातार जारी प्रदर्शन से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बनी हुई है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से निकलकर सड़क पर सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। हालांकि, सड़क पर प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसके बाद आवागमन सामान्य होने की स्थिति बनी।

फिलहाल, ऑनलाइन दाखिल–खारिज के विरोध और ज्ञापन स्वीकार न किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश बरकरार है। अब देखना होगा कि प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच गतिरोध समाप्त कराने के लिए क्या पहल की जाती है।

सामूहिक हवन पूजन का हुआ आयोजन

संवाददाता–श्रावस्ती। भिनगा के खलवा बाजार स्थित गायत्री शक्तिपीठ में शुक्रवार को जिला समन्वयक दधिबल सिंह की अध्यक्षता में सामूहिक हवन–पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर हवन किया। हवन के बाद जिला समन्वयक ने लोगों को हवन विधि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हवन करते समय अपने हथेली की तर्जनी को हवन सामग्री से अलग रखना चाहिए। साथ ही हवन करते समय चाहे कितनी भी आवश्यक बात क्यों न हो कदापि बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने से हवन का फल नष्ट हो जाता है। इसके बाद लोगों ने माता गायत्री की आरती कर परिवार की सुख शांति का वरदान मांगा। इस मौके पर रमन कुमार, महेश मिश्रा, आलोक कुमार, नंद किशोर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कुमार सानू के साथ राजशेखर का नया गीत 'यार खफा' रिलीज, पूर्वांचल का नाम किया रोशन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

महराजगंज। पूर्वांचल की प्रतिभा ने एक बार फिर मायानगरी मुंबई में अपनी पहचान दर्ज कराई है। क्षेत्र के उभरते गायक राजशेखर का बॉलीवुड के मशहूर पार्श्वगायक एवं पद्मश्री सम्मानित कुमार सानू के साथ नया गीत 'यार खफा' रिलीज हुआ है। इस उपलब्धि से उनके परिवार और क्षेत्र के संगीत प्रेमियों में खुशी का माहौल है।

छोटे शहरों से निकलकर मुंबई की संगीत दुनिया में अपनी जगह बनाने का राजशेखर का सफर युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। वह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार भारती के छोटे भाई हैं। राजशेखर के इससे पहले भी कई गीत रिलीज हो चुके हैं, लेकिन कुमार सानू जैसे दिग्गज गायक के साथ गीत प्रस्तुत करना उनके संगीत करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

'यार खफा' गीत को थ१ त्मबवतके के बैनर तले रिलीज किया गया है। गीत के बोल और संगीत शब्बीर अहमद ने तैयार किए हैं। मधुर संगीत और भावपूर्ण गायकी से सजे इस गीत को संगीत प्रेमियों का प्यार मिल रहा है। गीत यूट्यूब पर उपलब्ध है। राजशेखर की इस उपलब्धि पर उनके बड़े भाई प्रवीण कुमार भारती ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार के साथ–साथ पूरे पूर्वांचल के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। राजशेखर ने अपनी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों और संगीत प्रेमियों से अपील की कि वे 'यार खफा' गीत को सुनें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर राजशेखर का उत्साहवर्धन करें। राजशेखर की इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं को भी अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

अप्राकृतिक–दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

संवाददाता–बहराइच। पुलिस को श्ऑपरेशन कन्विक्शनश के तहत सफलता मिली है। रानीपुर थाने में 10 साल के बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 29 अप्रैल 2024 की रात का है। ग्राम सपहा निवासी गरीबे पुत्र सत्तन पर आरोप था कि उसने 10 वर्षीय बच्चे को खेत की ओर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था। 30 अप्रैल 2024 को रानीपुर थाने में आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)ध6 के तहत केस दर्ज हुआ। विवेचक उपनिरीक्षक वीर पाल सिंह ने साक्ष्य जुटाकर 25 मई 2024 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

अपर सत्र न्यायाधीशधविशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम ने दोषी गरीबे को 20 साल का कठिन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बौद्ध परिपथ पर सांकेतिक चक्का जाम कर जताया विरोध

संवाददाता–बलरामपुर। जिलाधिकारी और वकीलों के बीच विवाद का समाधान नहीं निकलने से आंदोलन लगातार जारी है। नाराज वकीलों ने शुक्रवार को न्यायालय परिसर से बौद्ध परिपथ तक पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सांकेतिक चक्का जाम किया गया। दोपहर में कलेक्ट्रेट संघ भवन में संयुक्त बार संघ की बैठक में शनिवार को भी आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। अब आंदोलन का अगला कदम जिलाधिकारी की ओर से सकारात्मक वार्ता की पहल पर निर्भर है। वकीलों ने स्पष्ट किया कि वार्ता का रास्ता खुलने पर तीनों तहसीलों के पदाधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे। उधर, उतरौला और तुलसीपुर तहसीलों में भी नाराज वकीलों ने प्रदर्शन कर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर विरोध जताया।

शुक्रवार को प्रदर्शन के बाद दोपहर दो बजे कलेक्ट्रेट संघ भवन में संयुक्त बार संघ की बैठक हुई। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि जिलाधिकारी की ओर से किए जा रहे पत्राचार का संघ की तरफ से जवाब भेजा जाएगा। इसमें वकीलों की मांगों व उनके पक्ष को स्पष्ट रूप से रखा जाएगा। जिलाधिकारी की ओर से सकारात्मक वार्ता की पहल होने पर जिला बार, कलेक्ट्रेट बार और अन्य संबंधित बार संघों के अध्यक्ष, महामंत्री व पदाधिकारी निर्धारित समय पर मुलाकात करेंगे। तब तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुर्तजा हुसैन खान, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह और जिला युवा बार संघ के अध्यक्ष मृगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। गुरुवार को उतरौला और तुलसीपुर के अधिवक्ताओं के साथ जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। शुक्रवार को बौद्ध परिपथ पर सांकेतिक चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया गया।

प्रेमी की शादी दूसरे से तय होने पर टावर पर चढ़ी युवती

संवाददाता–देवरिया। जिले के लार थाना क्षेत्र में प्रेमी की शादी किसी दूसरे से तय होने की भनक लगते ही शुक्रवार को एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से ही शादी करने की जिद करने लगी। सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। दो घंटे तक पुलिस ने काफी मशक्कत की और बातचीत कर शादी कराने का आश्वासन दिया। जिसके बाद युवती मोबाइल टावर से नीचे उतरी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। उधर दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में बुलाया है। लार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती पड़ोस के ही एक युवक से प्रेम करती है। दोनों का प्रेम प्रसंग कई वर्षों से चला आ रहा है। प्रेमी उससे ही शादी करने का आश्वासन दिया था। इस बीच युवक की शादी दूसरे जगह तय हो गई। इसकी भनक जब युवती को लगी तो वह परेशान हो गई। पहले प्रेमी से बातचीत की और फिर पिंडी स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से ही शादी करने की जिद करने लगी। उसका कहना था कि जब तक प्रेमी नहीं आएगा और शादी करने की बात नहीं कहेगा, तब तक वह मोबाइल टावर से नहीं उतरेगी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार और उपनिरीक्षक सत्यदेव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद उसे नीचे उतारा।

ग्रामीणों के अनुसार युवती और युवक के प्रेम संबंध को लेकर करीब एक वर्ष पहले गांव में पंचायत हुई थी। अब युवती के टावर पर चढ़ने की घटना के बाद मामला फिर चर्चा में है। उपनिरीक्षक सत्यदेव ने बताया कि युवती को थाने लाया गया है। दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाया गया है। उनसे बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मिठवल में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, दो शिक्षकों के जिम्मे महज तीन बच्चे!

डड़वा राजा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कम उपस्थिति पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, शिक्षकों पर मोबाइल चलाने और लापरवाही के आरोप

बीएसए बोले–मामला संज्ञान में, जांच के बाद होगी कार्रवाई

–रवि पाठक–

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

मिठवल (सिद्धार्थनगर)। विकास खंड मिठवल के डड़वा राजा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की बेहद कम उपस्थिति को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विद्यालय में दो शिक्षकों की तैनाती के बावजूद महज तीन बच्चों की उपस्थिति होने की बात सामने आई है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए विद्यालय में नियमित पढ़ाई और शिक्षकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में तैनात शिक्षक बच्चों की पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हैं। उनका कहना है कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते और आने के बाद भी बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल चलाने में समय बिताते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, विद्यालय समय समाप्त होते ही शिक्षक ताला बंद कर चले जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई होती और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता, तो उपस्थिति की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

मामले की जानकारी लेने के लिए जब मीडियाकर्मी विद्यालय पहुंचे और शिक्षकों से विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था तथा बच्चों की कम उपस्थिति के संबंध में सवाल किए, तो शिक्षकों ने अपनी कार्यप्रणाली पर जवाब देने के बजाय मीडियाकर्मियों से ही विद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए विशेष आदेश होने के बारे में पूछना शुरू कर दिया। इससे विद्यालय की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर चर्चा और तेज हो गई।

मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर ने कहा कि डड़वा राजा विद्यालय में बच्चों की बेहद कम उपस्थिति और शिक्षकों की कार्यशैली से संबंधित मामला संज्ञान में आया है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विद्यालय में दो शिक्षकों की तैनाती के बावजूद बच्चों की कम उपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित हो रही हैं? क्या बच्चों और अभिभावकों को विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा विद्यालय का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है?

इन सवालों के जवाब विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल ग्रामीणों को उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और यदि लापरवाही की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अब देखना यह होगा कि विभागीय जांच के बाद विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।

राजभर बोले- मुसलमान कब तक बिछाएगा दूसरों की दरी, आजम खां से अखिलेश की मुलाकात चुनावी जुमला

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजम खां से जेल में मुलाकात करने को लेकर निशाना साधा। अम्बेडकरनगर में उन्होंने कहा कि आजम खां लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब तक उनसे मिलने क्यों नहीं गए। राजभर ने इस मुलाकात को चुनावी जुमला करार देते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चुनाव को ध्यान में रखकर आजम खां से मिलने पहुंचे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुसलमानों को भी सत्ता में भागीदारी की इच्छा रखनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुसलमान कब तक दूसरों के लिए दरी बिछाता रहेगा। राजभर के मुताबिक, अखिलेश यादव चाहते हैं कि भाजपा के डर से मुसलमान सपा को वोट दें।

सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 170 सीटें कभी नहीं देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीटों को लेकर विचार–विमर्श करते–करते चुनाव आ जाएगा और कांग्रेस दौड़ते–दौड़ते थक जाएगी।

राजभर ने अपने पुराने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वह सपा के साथ रह चुके हैं और उनके मुताबिक, सपा अपने सहयोगियों को इतना दौड़ाती है कि लोग भाग जाते हैं। उनके इन बयानों से अम्बेडकरनगर में सपा–कांग्रेस गठबंधन और अखिलेश यादव की आजम खां से मुलाकात को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं।

चलती हुंडई वरना बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान

संवाददाता–गोरखपुर। गुलरिहा इलाके के मेडिकल कॉलेज रोड स्थित मोगलहा में महिंद्रा शोरूम के सामने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक हुंडई वरना कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार धू–धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली।जानकारी के मुताबिक, कार लखनऊ नंबर की है। कार में कुछ दिन से खराबी आ रही थी, जिसकी शिकायत मालिक ने कंपनी से की थी। शुक्रवार सुबह कंपनी के शोरूम का चालक कार को चलाकर गुलरिहा स्थित सर्विस सेंटर शोरूम ले जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह मोगलहा के पास महिंद्रा शोरूम के सामने पहुंचा, कार के इंजन से तेज धुआं निकलने लगा।

चालक ने कार रोककर देखा तब तक आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।सूचना पर स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। गुलरिहा पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

शॉर्ट सर्किट से मोबाइल दुकान राख, पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। कोतवाली रोड पर शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से सिद्दीकी मोबाइल शॉप में आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। गश्त कर रही पुलिस की सक्रियता और अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक दिया गया। इससे घनी आबादी वाले व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। दुकान में हुए नुकसान का सही आकलन अभी नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार, कोतवाली रोड स्थित सिद्दीकी मोबाइल शॉप में रात करीब 12:30 बजे अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख गश्त कर रही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। दुकान के शटर पर लिखे मोबाइल नंबर से मालिक को सूचना दी गई। इसके बाद दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो शटर में करंट उतर रहा था। विद्युत आपूर्ति बंद कराने के लिए विभाग को सूचना दी गई। इस बीच आग तेजी से फैलती रही। पुलिस और अग्निशमन विभाग की सक्रियता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान का सामान जल चुका था।

कोतवाली रोड पर आठ–दस आवासीय मकानों को छोड़कर अधिकतर भवनों में व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। आवासीय भवनों के नीचे और आगे भी दुकानें हैं। ऐसे में आग का फैलाव आसपास की दुकानों और मकानों के लिए खतरा बन सकता था। समय रहते आग पर नियंत्रण होने से अन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान से बचा लिया गया। घटना के बाद दुकानदारों में देर रात तक अफरातफरी का माहौल रहा। कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

बदलते मौसम का असरः दिन में धूप, सुबह–शाम ठंडक, पर्यावरण संरक्षण की बढ़ी जरूरत

–रवि पाठक–

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

सिद्धार्थनगर। अक्टूबर का महीना बीतने के साथ ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में धूप निकलने से गर्मी बनी हुई है। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच प्रकृति एक बार फिर लोगों को बदलते मौसम और पर्यावरण संरक्षण के महत्व का एहसास करा रही है।

मौसम संबंधी रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।

मौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रकृति का संतुलन जरूरी

प्रकृति मानव जीवन का आधार है। पेड़–पौधे, नदियां, तालाब, स्वच्छ हवा और उपजाऊ मिट्टी जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, जलस्रोतों की उपेक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बदलाव, अनियमित वर्षा और मौसम की चरम परिस्थितियां भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण के साथ–साथ मौजूदा पेड़ों की रक्षा करना, जलस्रोतों को स्वच्छ रखना और प्लास्टिक के अनावश्यक इस्तेमाल को कम करना जरूरी है।

प्रकृति संरक्षण से ही सुरक्षित होगा भविष्य

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, पेड़ लगाने और पानी बचाने का संकल्प ले, तो प्रकृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन निःशुल्क देती है। अब जरूरत है कि मनुष्य भी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, पर्याप्त पानी और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0–D202617140000734

अदालत– श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय बस्ती जिला–बस्ती

राज कुमार पाण्डेय

बनाम

कनिकराम आदि

1. कनिकराम पुत्र सदल 2. अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र हृदयराम 3. राजू वर्मा पुत्र कोदई 4. वंशीधरपाण्डेय 5. जय प्रकाश पाण्डेय 6. ओम प्रकाश पाण्डेय पुत्रगण श्रीमणि पाण्डेय 7. ज्ञानमती देवी पत्नी श्रीमणि पाण्डेय साकिनान मौजा दौलतपुर तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 04–11–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 04 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 23 माह 10 सन 2026 ई0 जारी किया गया। – द0 हाकिम

गोरखपुर से नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए 27 अक्तूबर से सीधी उड़ान

संवाददाता–गोरखपुर। गोरखपुर से नोएडा के जेवर स्थित एयरपोर्ट के लिए 27 अक्तूबर से सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो की ओर से इस रूट पर विमान का संचालन किया जाएगा। इससे गोरखपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सीधी हवाई सुविधा मिलेगी। हालांकि, कोलकाता के लिए फिलहाल सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं होगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम 2026–27 को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम 25 अक्तूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। जारी शेड्यूल के अनुसार, गोरखपुर से दिल्ली, बंगलूरू, मुंबई, हैदराबाद और नवी मुंबई समेत प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इन सेवाओं का संचालन इंडिगो, अकासा एयर और स्पाइसजेट की ओर से किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, जेवर एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान दोपहर 2:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगा और यहां से 2:30 बजे वापस उड़ान भरेगा। इस सेवा के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

अदालती नोटिस

अपील के सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना (धारा 41 नियम 14 व्या0प्र0सं0)

न्यायालय–श्रीमान जिला जज महोदय सिद्धार्थनगर जिला सिद्धार्थनगर

प्रकीर्ण अपील सं0– 17/2026

रामफेर आदि

बनाम

श्रीमती सावित्री देवी आदि

3– घनश्याम उम्र लगभग 57 वर्ष पुत्र बहाऊ 4– शंकर उम्र लगभग 72 वर्ष पुत्र लाले समस्त निवासीगण इटवा तप्पा कोट परगना बांसी पश्चिम तहसील इटवा जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 05–11–2026

आपको सूचना दी जाती है कि मामले को आदेश डिक्री की अपील द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गयी है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा दिनांक **05–11–2026** नियत की गयी है। यदि इस अपील में आप की ओर से आप स्वयं या आपके अधिवक्ता या आपके लिए कार्य करने के लिए विधिक प्राधिकृत कोई व्यक्ति उक्त नियति तिथि को समय 10:00 अपरान्ह उपसंजात नही होगा तो वह आपके अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जायेगी।

यह आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

द0 हाकिम

भव्य होगी सनातन धर्म संस्था की सातवें वर्ष की रामलीला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सनातन धर्म संस्था, बस्ती द्वारा श्री हरि मैरेज हाल में श्री रामलीला महोत्सव को भव्य दिव्य, बनाने व भव्य जन जागरण शोभायात्रा के उद्देश्य से एक तैयारी बैठक का आयोजन किया गया । दीप प्रज्जवलन एवं श्री राम स्तुति द्वारा बैठक का विधिवत शुभारम्भ किया गया। स्वागत करते हुए श्याम जी चौधरी ने बताया जन जन में रामत्व जगाने के लिए सनातन धर्म संस्था सतत प्रयत्नशील है, ये सब आम जन के सहयोग से ही संभव हो पाया है। पण्डित गोपेश्वर त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्षों में रामलीला महोत्सव द्वारा नौनिहालों में जो संस्कार देने का जो बीड़ा सनातन धर्म संस्था, बस्ती ने उठाया है उसका परिणाम दिखना शुरू हो गए हैं। डॉ शैलेश सिंह ने 20 विद्यालयों के 600 से अधिक बच्चों द्वारा होने वाली श्री रामलीला महोत्सव पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आज आवश्यकता है सभी बच्चों में येन केन प्रकारेण श्री राम जी के जीवन से जोड़कर रामत्व स्थापित किया जाए।

जिस राम राज्य और विश्वगुरु भारत की हम सब कल्पना करते हैं उसका सबसे सुलभ और सटीक मार्ग जन जन में रामत्व स्थापित करना है, जिसे सनातन धर्म संस्था, बस्ती बहुत सुंदर ढंग से कर रही है।

मनीष सिंह ने कहा कि जिस तरह से आज क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से बच्चे माता पिता से विमुख हो रहे हैं, जिस तरह धर्म की हानि हो रही है, जिस तरह से धर्मांतरण हो रहे हैं, संयुक्त परिवार की अवधारणा टूट रही है, ऐसे में बच्चों को श्री रामलीला महोत्सव से जोड़कर लगातार 3 से 4 महीने तक श्री राम जी के चरित्र, आचरण, जीवन पद्धति आदि का अध्ययन कराया जा रहा है वह एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। एम पी दूबे ने सभी को इस शोभा यात्रा को अविस्मरणीय बनाने की अपील की। कर्नल के सी मिश्र ने कहा कि आज बहुत आवश्यक है कि बच्चे श्री राम जी से प्रेरणा लेते हुये स्वराष्ट्र व स्वधर्म के प्रति जागरुक हों, सीमाओं की सुरक्षा हेतु तत्पर हों, उन्होंने श्री राम जी का उद्धण देते हुये कहा कि भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि ध्अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते:, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी: कहा कि स्वराष्ट्र प्रथम व स्वधर्म की भावना को ही प्राथमिकता मिले तो यह भारत देश बड़ा ही सुंदर हो जायेगा।

सभी का आवाहन करते हुये अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि आगामी 02 नवंबर, दिन– सोमवार को प्रातः 10 बजे से श्री कृष्ण कुमारी पाण्डेय इंटर कॉलेज स्टेशन रोड से– रोडवेज, गांधीनगर, कंपनीबाग होते हुये शिव मंदिर अमहट घाट तक श्री रामलीला समिति द्वारा भव्य जन जागण शोभायात्रा का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है जो समाज के लिए समाज के द्वारा ही सम्पन्न होना है, जिसमें बड़ी संख्या में सपरिवार पीत वस्त्रों में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया है।

सरदार सर्वजीत सिंह ने कहा कि श्री रामलीला महोत्सव, बस्ती हमारे जनपद का मुख्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बन गया है। जिसकी वर्ष भर लोगों को प्रतीक्षा रहती है।

अखिलेश दूबे ने श्री रामचरित मानस की महत्वपूर्ण चौपाइयों से लोगों में राम जी के प्रति भाव भरने का प्रयास किया। बैठक में नरेश सडाना, अतुल चित्रगुप्त, अंकुर यादव, उमंग शुक्ल, कैलाश नाथ दूबे, सुशील मिश्र, अनुराग शुक्ल, सर्वजीत सिंह, सहदेव दूबे, भोलानाथ चौधरी, अर्पित गौड़, हर्ष मिश्र, अभय त्रिपाठी, अभिषेक पांडेय, अमरेंद्र सिंह, मुक्तेश्वर नाथ आजाद, जय गोपाल पांडेय, आलोक श्रीवास्तव, हरीश त्रिपाठी, राणा महेंद्र प्रताप, डॉ प्रदीप सिंह, डॉ मनोज सिंह, राकेश कुमार सिंह, शिवम सिंह, प्रेम प्रकाश ओझा, काशीराम, अंकुर यादव, शिव प्रसाद चौधरी, नील कमल, विवेक मिश्र, किशन कुमार, ओमकार मिश्र, आशुतोष सिंह, कपिलदेव सिंह, अविनाश त्रिपाठी, अभय त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, सहित बहुत से लोग सम्मिलित हुए।

अदालती नोटिस

प्रारूप 7

(देखे नियम–11 (1)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 प्रथम महोदय सिद्धार्थनगर जिला–सिद्धार्थनगर

घरेलू हिंसा वाद सं0 1436/2025 थाना–सिद्धार्थनगर

नसरीन फातिमा

बनाम

सुहेब आदि

1. सुहेब पुत्र शेरशाह (पति) 2. शेरशाह पुत्र अज्ञात (ससुर) 3. हसीबुन्निशा पत्नी शेरशाह (सास) 4. तवस्सुम पुत्री शेरशाह 5. सोनी पुत्री शेरशाह (ननद) 6. फखरून पुत्री शेरशाह (ननद) 7. आयशा उर्फ चांदनी पुत्री शेरशाह (ननद) साकिन मिठौरा पोस्ट मिठौरा बाजार थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज

तारीख पेशी 28–10–2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्पत तारीख 28 मास 10 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्दाअलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान ग्राम न्यायालय भानपुर बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–779/2021

ओम प्रकाश

बनाम

रामसजीवन आदि

5/3 प्रदीप पुत्र हरीराम 5/5 प्रमिला देवी पत्नी हरीराम निवासीगण सिसवा बुजुर्ग तप्पा छपिया परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 20–11–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 20 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–1221/2021

श्रीमती सुनीता

बनाम

सूरज लाल

1. सूरज लाल पुत्र रामकल्प उम्र लगभग 58 साल निवासी ग्राम सिकन्दरपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 19–11–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)

अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्णवाद सं0– 04/2026

मो0 हुसेन आदि

बनाम

अली अहमद आदि

1/1 जुबेर अहमद 1/2 रईश अहमद 1/3 सुहेल अहमद 1/4 जुनेद अहमद पुत्रगण अली अहमद 1/5 साकरूनिंशा पत्नी अली अहमद 2. सरफराज 3. परवेज पुत्रगण साबिर अली 4. सहीदुन्निशा पत्नी वशीर अहमद समस्त निवासीगण ग्राम भुवनी तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 08–12–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 08 माह 12 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 23 माह 10 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

ट्रैक्टर–ट्रॉली की चपेट मे आने से छात्रा की मौत

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के मेंलान खुर्द गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में कक्षा 11 की छात्रा आंचल (16) की मौत हो गई। स्कूल से साइकिल से घर लौट रही छात्रा को मिट्टी लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली ने कुचल दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में चीख–पुकार मच गई। बेटी की मौत से मां बिंदु देवी का रो–रोकर बुरा हाल है। वहीं, होनहार छात्रा की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मेंलान खुर्द निवासी रामजीत की बेटी आंचल बस्ती जिले के रुधौली क्षेत्र के गोठवा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। बताया जाता है कि शुक्रवार को वह स्कूल से साइकिल से घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव में मिट्टी लादकर सेमरियावां की तरफ जा रही ट्रैक्टर–ट्रॉली की चपेट में आ गई। ट्रॉली ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आंचल तीन बहनों में दूसरे नंबर पर थी।

परिजनों के मुताबिक, वह पढ़ाई में होनहार थी और परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। उसकी असमय मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। बेटी की मौत के बाद मां बिंदु देवी बार–बार बेसुध हो जा रही हैं। उनका विलाप देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गांव में हर कोई इस दर्दनाक हादसे से गमगीन है। थानाध्यक्ष अमित कुशवाहा ने बताया कि छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रैक्टर–ट्रॉली के चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**

संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**

अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद

लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।

गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।

मो0 9336715406, 8400925463

ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com

dainikbhartiyabasti@gmail.com